संक्षिप्त

पटेल विधि सलाहकार पद पर नियुक्त

पावटा। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में विधिक मामलों की पैरवी एवं परामर्श के लिए स्थानीय स्तर पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। संबंधित आदेश के अनुसार विभिन्न नगरीय निकायों के लिए विधि सलाहकार/पैनल अधिवक्ताओं की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ठाहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत पावटा प्रागपुरा नगरपालिका में एडवोकेट कुलदीप पटेल व रतन सिंह शेखावत को पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका में एडवोकेट कुलदीप पटेल व रमेश सिंह शेखावत को पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति से नगरपालिका में विधिक मामलों के त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी तथा नगर निकायों को सशक्त विधिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते है का प्रभावी मंचन

टोंक। एक्स्ट्रा एन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में कम्युनिटी थिएटर टोंक सोसायटी द्वारा आयोजित 25 दिवसीय ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का समापन बच्चों के द्वारा नाट्य प्रस्तुति से किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कांता ग्रेबा द्वारा लिखी कहानी भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं की प्रस्तुति एक्सपेरिमेंटल स्टूडियो में रविवार को दी गई। प्रस्तुति का नाट्य रूपांतरण कार्यशाला सुगमकर्ता शुभम मेघवंशी एवं मोहित वैष्णव के द्वारा किया गया हैं। वहीं नाट्य प्रस्तुति में संगीत घनिष्ठ एवं चितरंजन नामा द्वारा किया गया हैं।

मकान में आग लगने से लाखों का सामान जला

किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास के नजदीक के गांव कांकरा में सायं करीब 5 बजे एक मकान में बिजली शर्टसर्किट होने से आग लग गई। मकान में अंदर खडी बोलोरो व पिकअप गाड़ी सहित 35 से 40 लाख का सामान आग में सुलग गया। मौके पर तहसीलदार नरेंद्र भाटिया, डीएसपी राजेंद्र निर्वाणा, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत, पटवारी पहुंचे और नुकसान का आकलन किया।

खोया पाया

मेरे आवास गृह 1क 37 विज्ञान नगर कोटा में स्थित है जिसका हाउसिंग बोर्ड से जारी आवंटनपत्र, कब्जा पत्र व उसकी इन्वेंटरी के मूल दस्तावेज कही गुम हो गए है मिलने पर संपर्क करें- हर्षनारायण शर्मा- 9414458500

आम-सूचना:- मेरे अभिभाष्य श्री राहुल काला पुत्र स्व.श्री राकेश काला, निवासी-जे.एम.सी. -136, मेहरों का मौहल्ला, नियर बंको स्कूल, हसनपुरा-ए, जयपुर, राजस्थान की ओर से एवं निर्देशानुसार सभी को सूचित हो कि दिनांक 09.06.2025 तक श्री राहुल काला द्वारा धारित किसी भी बीमा पॉलिसी (जीवन, टर्म, स्वास्थ्य आदि) में नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) के तौर पर ओमप्रकाश काला पुत्र स्व. श्री राकेश काला, निवासी-जयपुर राजस्थान सम्मिलित नही है। अगर उक्त दिनांक तक राहुल काला की किसी भी प्रकार की बीमा पॉलिसी (जीवन, टर्म, स्वास्थ्य आदि) में नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) के तौर पर ओमप्रकाश काला का नाम सम्मिलित होना पाया जाये, तो यह मात्र एक छलपूर्वक तैयार किया गया, दस्तावेज माना जायेगा। अगर ऐसा कोई दस्तावेज अस्तित्व में हो तो वह शून्य तथा अवैध दस्तावेज होगा। कृपया सूचित रहें। राकेश सैनी (अधिवक्ता) मोबाईल-9928060150

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-06 जयपुर महानगर द्वितीय।

एस.के. फाईनेंस लि.
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

रतन कंवर पत्नी श्री भैरों सिंह निवासी सी-167-ए, जगदम्बा नगर, अजमेर रोड, जयपुर - 302024, राजस्थान। प्रार्थी एस.के. फाईनेंस लि. द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना करधनी में जब्त वाहन कार मारूति स्वीफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ14CY1250 ईजन नंबर 13A2443430 चेसिस नंबर MA3FJEB1S00605865 को जब्ती अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट 1186/22 के अन्तर्गत बेचान पर लिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आपको इस संबंध मे कोई आपत्ति हो तो आप न्यायालय में दिनांक 17/6/25 को प्रातः 10.00 AM पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा प्रकरण में आपकी अनुपस्थिति में कार्यवाही की जावेगी।

मोहर

वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-6, जयपुर महानगर द्वितीय

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अपहरण के आरोपियों की गिरफ्तार की मांग

- उप अधीक्षक को व्यापार संघ ने सौपा ज्ञापन

व्यापारी नवीनसोखिया के अपहरण करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपाधीक्षक मनीषा मीना को ज्ञापन सौंपा।

राजगढ। राजगढ़ व्यापार संघ ने बसंत गुप्ता के नेतृत्व में कस्बे के कारोठ मार्ग निवासी व्यापारी नवीनसोखिया के अपहरण एवं लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपाधीक्षक मनीषा मीना को ज्ञापन सौपा।

राजगढ व्यापार संघ के अध्यक्ष बसंत गुप्ता ने बताया कि व्यापारी नवीन कुमार के अपहरण से पूर्व कस्बे में बैंक से बाहर निकलते समय व्यापारी की जेब से 1लाख छीनकर ले जाने एवं अन्य चोरी की वारदातें हुई है। इन घटनाओं से व्यापारी वर्ग में रोष हैं। व्यापार संघ ने उप अधीक्षक से व्यापारी के अपहरण करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की है। व्यापार संघ ने सप्ताह भर में अपहरण करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उप अधीक्षक मनीषा मीणा ने प्रतिनिधि मंडल को शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बसंत गुप्ता, अशोक बजाज, हर्षित गुप्ता, बंटी गुप्ता, राजेंद्र जैन, राम रतन तांबी, अनिल कुमार, नवीन कुमार, एवं अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

विधायक कोष से 85 लाख रूपये के विकास कार्य स्वीकृत

टोंक। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 'विधायक स्थानीय विकास कोष से 85 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की है। इस दौरान पायलट ने नगर परिषद टोंक के राउमावि मोलाईपुरा में प्रार्थना स्थल पर टिन शेड निर्माण कार्य हेतु 4 लाख रूपये, पंचायत समिति टोंक की ग्रा.पं. लाम्बा के ग्राम चेतनपुरा स्थित बैरवा बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख रूपये, ग्रा.पं. मण्डावर में श्री देव डूंगरी धाम पर हाई मास्क लाईट के लिए 6 लाख रूपये, ग्रा.पं. हरचन्देडा के ग्राम बारेडी में पीपली वाले जिन्द बाबा के स्थान पर विद्युतीकरण कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन की डिमांड राशि जमा करवाने के लिए 1.30 लाख रूपये, पं.स. टोडारायसिंह की ग्रा.पं. खरेडा के ग्राम खरेडा में बस स्टेण्ड यात्री प्रतिक्षालय निर्माण के लिए 20 लाख रूपये, ग्राम सेंतीवास में श्री उद्दा गुर्जर के बाडे से श्री शंकर गुर्जर फौजी के मकान की ओर सी.सी. सडक के लिए 10 लाख रूपये, की स्वीकृति जारी की है।

दो महिला प्रधानाचार्य को भी मिले नोटिस, मांगा जबाव

भरतपुर (निस)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8 से 16 जून तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की जा रहीं हैं। परीक्षाओं के सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी सम्पन्न कराने के लिए केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं वीक्षक नियुक्त किये गये थे। केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं वीक्षक पद पर नियुक्त कार्मिक अपनी निर्धारित ड्यूटी एवं परीक्षा पूर्व बैठक से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थिति रहे कार्मिकों की लापरवाही को गम्भीरता से लिया गया है। अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8 से 16 जून तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की जा रहीं हैं। परीक्षाओं के सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी सम्पन्न कराने के लिए केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं वीक्षक नियुक्त किये गये थे। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त केन्द्राधीक्षक के रूप में तृप्ति सिंघल प्रधानाचार्य एवं पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अर्चना कुमारी प्रधानाचार्य परीक्षा बैठक एवं परीक्षा केन्द्र पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रही हैं।

उन्होंने बताया कि कार्मिकों द्वारा राजकार्य के प्रति उदासीनता, कत्तर्व्य के प्रति लापरवाही के साथ-साथ राज्य सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधित अधिनियम 2023 के नियमों का उलंघ्घन किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग भरतपुर को अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध 5 दिवस में आवश्यक कार्यवाही करते हुये सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया है। अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन ने बताया कि परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु वीक्षक के रूप में नियुक्त कार्मिक भी परीक्षा बैठक एवं परीक्षा केन्द्र पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक उच्चौन के सियाराम सिंह, अल्का, राजपाल सागर, मनीषा कुमारी, जोगेन्द्र सिंह, मछला कुमारी डागुर, नेहा कुमारी, सुमन मीना, विद्यादेवी, शिवदेव सिंह, रचना कुमारी, लोकेश कुमार, सरस्वती, लक्ष्मी मीना, राजन, संजय कुसुमाकर, नरेश चन्द, सुनीता देवी, अनुमिता गोयल, ओष्मा, एवं रेखा कुमारी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक सेवर के दीपिका शर्मा, राकेश कुमार, मंजू, चुंकी कुमार जाट, सुनीता जिन्दल, भूपेन्द्र सिंह, मीरा चतुर्वेदी, पूनम कुमारी, राकेश कुमार, सीमा कुमारी, हरिओम, रीता कुमारी, ममता शर्मा, मोहिनी सिंघल, पुष्पा सैनी, निशा जांगिड, मंदीप सिंह, मंजूरानी, मधु कुमारी, विजय सिंह, विष्णुचंद मंगल, विनोद कुमार, सोनू सैनी, सीमा रानी एवं शकुंतला मीना परीक्षा बैठक एवं परीक्षा केन्द्र पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे।

वंदे-गंगा जल संरक्षण जन अभियान में सभी अपनी भागीदारी निभाएं : चौधरी

टोंक। गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रारम्भ हुए वंदे गंगा-जल संरक्षण जन अभियान के छठे दिन सोमवार को पीपलू उपखंड की ग्राम पंचायत सोहेला में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी शामिल हुए।

इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सभी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि 'जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है कि भावना के साथ हमें जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास करने है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से कार्य करने होंगे। उन्होंने किसानों को कम से कम पेस्टीसाइड को उपयोग लेने पर जोर देते हुए कहा कि आने वाला समय जैविक खेती का है, जैविक खेती कर भावी पीढ़ी को विरासत में रोग मुक्त जीवन सौंपे। कार्यक्रम में देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण व प्रकृति का संरक्षण प्राचीन समय से हमारी परंम्परा व संस्कृति का हिस्सा रहा है। उन्होंने जन-जन की भागीदारी से ही अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित जल संरक्षण अभियान के माध्यम से लोगों में जल संरक्षण के प्रति व्यापक चेतना का संचार होगा। साथ ही, अभियान से प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन को बल मिलेगा। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण करते हुए जिले को समृद्ध एवं खुशहाल बनाएं। जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने ग्रामीणों और युवाओं से आव्हान किया कि वे इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। जल संरक्षण न केवल आज की जरूरत है, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर भी है।

सतीश चंदेल ने कहा कि जल ही जीवन है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे पूर्व अतिथियों ने बोरखंडी खुर्द तालाब पर जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण संबंधी कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही, हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में सीईओ परशुराम धानका ने जिले में चल रहे अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, पूर्व कृषि मंडी चौयरमेन रामनिवास गुर्जर, अंजलि गुप्ता, नीलिमा आमेरा समेत अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

उत्तर पश्चिम रेलवे — शुद्धि पत्र

इस कार्यालय द्वारा ज्ञापित **खुली निविदा सूचना संख्या SNT-JP-23R-2024-25 (NIT-06.06.2025)** जो कि **दिनांक 30.06.2025** को खोली जानी है में निम्नलिखित संशोधित किये जाते है। **कार्य का नाम :** डीआरएम कार्यालय के बोर्ड रूम में एसपीसी वॉल पैनलिंग और फाल्स सीलिंग के प्रावधान के संबंध में दूरसंचार कार्य।

क्रम सं.	पूर्व में जारी विज्ञप्ति	संशोधन	विवरण
1	SNT-JP-23R-2024-25	मैसर्स बालाजी इंजीनियरिंग वर्क्स-जयपुर इस कार्य में साामिल नही हो सकता है।	शुद्धि पत्र अपलोड किया गया है।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

662-DR/25 — मंडल रेल प्रबन्धक (एस एण्ड टी),जयपुर

कार्यालय नगरपालिका मालपुरा जिला टोंक (राज.)

क्रमांक :-न.पा.मा./ 2025-26/214 — दिनांक :- 09/04/25

सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गोपाल जाट व सुवालाल जाट पुत्र घासी जाट जाति जाट निवासी मोहल्ला जाटान, गुलाबपुरा पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज.) द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 12 जिसकी साईज 37.6X48 कुल 200 वर्गगज जो कि आराजी खसरा नम्बर 1266/147 रकबा 5:02 बीघा वाके ग्राम बृजलालनगर तहसील मालपुरा प्रस्तावित आवासीय अग्रसेन नगर कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक में स्थित है का पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या उज्र हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में निम्न हस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा बाद गुजर जाने मियाद किसी का कोई उज्र या आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहें।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मालपुरा

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT KISHANPURA, P.S. PALSANA (SIKAR)
No. : Proc./2025-26/19 — **Date : 04-06-2025**

E-Tendar Notice No. 01/2025-26

Bids for open tender of Procurement of Construction Material for Works in MGNREGA and Other Scheme in Gram Panchayat Kishanpura Panchayat Samiti Palsana(Sikar) are invited from Firms/ Suppliers Registered under the GST act 2017, upto 06:00 PM of 14.06.2025 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in and http://eproc.rajasthan.gov.in of state. and at Gram Panchayat Kishanpura Office in all working days.

NIB No.:- PSP2526A0041 — **UBN No.:- PSP2526GLR00040**

VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER
GRAM PANCHAYAT Kishanpura
PNCHAYAT SAMITI PALSANA

SARPANCH
GRAM PANCHAYAT Kishanpura
PNCHAYAT SAMITI PALSANA

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/391

चूंकि प्रार्थी श्री नरेन्द्र ढाका, फ्लैट नंबर 816 उपासना, फर्स्ट एवेन्यू बी-92, गोपाल वाडी, अजमेर रोड, सी-स्कीम, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास आह्वान ट्रस्ट, 52, हरी कृष्ण सोमानी मार्ग, हथरोई फोर्ट, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14/08/2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/397

चूंकि प्रार्थी श्री शशि कुमार शर्मा, मीनो का बाढ़, नायला, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास पी आर मेमोरियल ट्रस्ट, मंगलेश्वर महादेव मंदिर, प्लॉट न. 28, श्याम ऑगन विस्तार, बूज रोड, रामजीपुरा, नायला, जमवारामगढ़, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13/08/2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/399

चूंकि प्रार्थी श्री ANANDA GAUTAMI ACHARYA, A 29 MOTHER TERESA NAGAR BEHIND NWR HEAD QUATAR NEAR MALVIYA NAGAR SECTOR 6 JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास समर्पण संस्थान, ए/29, मदर टेरेसा नगर उत्तर पश्चिम रेलवे हैडक्वार्टर के पीछे सेक्टर 6 मालवीय नगर जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 12/08/2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि RHB की प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में प्लॉट नंबर 50/22 का अलॉटमेंट लेटर (1176 दिनांक 25.06.1996) को ओटा राम मीणा पुत्र चोपा राम मीणा के नाम है वो खो गया है जिसकी रिपोर्ट LR No. 2784539/2025 दर्ज करा दी गई है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में ओटा राम मीणा पुत्र चोपा राम मीणा ने SBI में लोन हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में सम्पर्क करें। ओटा राम मीणा 9413301020

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा

नं० एसएनटी- जेपी-23R-2024-25
दिनांक - 06/06/2025

मंडल रेल प्रबंधक / सं० एवं दू० सं०, उ० प० रे० जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई - निविदा का ऑनलाईन ई-टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। **1. कार्य का नाम व लोकेशन :** डीआरएम कार्यालय के बोर्ड रूम में एसपीसी वॉल पैनलिंग और फाल्स सीलिंग के प्रावधान के संबंध में दूरसंचार कार्य। **2. अनुमानित लागत :** ₹ 20,24,793.32/- **3. धरोहर राशि रूपये :** ₹ 40,500.00/- **4. वेबसाईट पर टेण्डर भरने की अंतिम तिथि और समय :** 30.06.2025 समय 15:00 बजे तक। **5. वेबसाईट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशन :** www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड लोकेशन मं०रे०प्र० कार्यालय, पावर हाउस रोड़ जयपुर।

659-CR/25

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कार्यालय सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी, प्रा. स्वा० केन्द्र सलारपुर(तिजारा) खैरथल तिजारा

क्रमांक :2025/25 — दिनांक-05/6/2025

खुली निविदा सूचना

सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथ०स्वा०केन्द्र सलारपुर(तिजारा) खैरथल-तिजारा द्वारा निम्न सेवायें उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत संस्था से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रपत्र प्राप्ती की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथ व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3	6	7	8
1	मशीन विद मैन(संविदा) कम्प्यूटर ऑपरेटर(1)	140000/-	14.06.2025 12.00 PM	14.06.2025 1.00 PM	14.06.2025 2.00 PM
2	साफ सफाई कार्य (संविदा)	140000/-	14.06.2025 12.00 PM	14.06.2025 1.00 PM	14.06.2025 2.00 PM

नियम एवं शर्ते-

1. निविदाएँ दोहरी बिड प्रणाली अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। पहला लिफाफा (क) तकनीकी बिड का होगा जिसमें अमानत राशि का डीडी/बैंकर्स चैक, समस्त वांछित डॉक्युमेंट की प्रमाणित छाया प्रति मय निविदा फार्म लगाया जायेगा। डीडी/बैकर्स चैक राजस्थान मेडिक्येर रिलीफ सोसाइटी, सलारपुर के नाम से व तिजारा शाखा पर देय होगा। दुसरा लिफाफा (ख) वित्तीय बिड का होगा जिसमें सिर्फ प्रस्तावित दरें ही दी जावेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. प्राप्त निविदाएँ दिनांक 14.06.2025 को दोपहर 1.00 तक जमा की जायेगी तथा 14.06.2025 को दोपहर 2.00 निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. तकनीकी विवरण एवं निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है। जो कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करा प्राप्त की जा सकती है।
4. अधिक जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में समस्त अधिकार कमेटी के पास रहेगा।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सचिव राज मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी
प्राथ स्वा0 केन्द्र सलारपुर, तिजारा

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय, भरतपुर
रेल्वे स्टेशन के सामने, भरतपुर- 321001 (राज.)
ई-मेल-scoutguidebtp05@gmail.com Mob-8003097151

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक : म.मु./भरतपुर/बोली/2025-26/809 — दिनांकः- 05/06/25

खुली बोली आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर व 02 चौकीदार (12 घण्टे हेतु) की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक, जो कि राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवाकर (GST) आयकर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, खुली बोली (तकनीकी व वित्तीय) आमंत्रित की जाती है।

1	निविदा का विवरण	कम्प्यूटर ऑपरेटरव चौकीदार
2	अनुमानित संख्या	01 कम्प्यूटर ऑपरेटर व 02 चौकीदार (12 घण्टे हेतु)
3	बोली की अनुमानित लागत	6.00 लाख रूपये
4	निविदा फार्म शुल्क	200/ रूपये
5	बोली प्रतिभूति राशि	10,000/ रूपये, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर के नाम बैंकर चैक, बैंक ड्राफ्ट
6	बोली प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 16.06.2025 को साय 6.00 बजे तक
7	निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	दिनांक 17.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक
8	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक एवं समय एवं स्थान	दिनांक 17.06.2025 दोपहर 2.00 बजे।
9	निविदा फार्म शुल्क जमा कराने का तरीका व निविदा फार्म प्राप्त करना	फार्म शुल्क 200/- नगद या राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर के नाम बैंकर चैक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर प्राप्त निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है।

01. खुली बोली आमंत्रण सूचना बोली/निविदा प्रपत्र और शर्ते राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर से फार्म प्राप्त कर सकते है।
02. निविदा जमा कराने/खोले जाने/निविदा शुल्क सहित समस्त शुल्क जमा कराने इत्यादि की समस्त कार्यवाही कार्यालय समय में की जावेगी।
03. किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या बोली को निरस्त करने का सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
04. बोली द्वि-पराक्रमी बोली सिद्धान्त पर आधारित होंगी। तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली प्रथक प्रथक प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बोली में असफल निविदादाता की वित्तीय बोली नहीं खोली जावेगी।

सचिव
मण्डल मुख्यालय, भरतपुर

SBI — भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ईमेल : agmcl3.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179557

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत कब्जा का सूचना (सांकेतिक)
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत **भारतीय स्टेट बैंक, एसएएम शाखा-II, 11वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली- 110001** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 17.02.2025 (भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई विशिष्ट शाखा, सीतापुरा द्वारा जारी) (1) मैसर्स जौर्जा लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता), पंजीकृत पता - 108, मां हिंगलाज नगर विस्तार, गांधीपथ पश्चिम, जयपुर - 302021 और फैक्टरी का पताः खसरा नंबर 946/943, 933/698, 945/930, मांडा, रीको फेस 2, ग्राम बैका बाग, डाकघर-कालाडेरा, जिला-जयपुर 303801, (2) श्री शिवांग गर्ग (व्यक्तिगत गारंटर) पता- प्लॉट नंबर 36, आनंद विहार विस्तार, गोपाल पुरा बायपास, त्रिवेणी नगर, जयपुर, पिन 302018, (3) श्रीमती उषा गर्ग (व्यक्तिगत गारंटर) पता- प्लॉट नंबर 36, आनंद विहार विस्तार, गोपाल पुरा बाय पास, त्रिवेणी नगर, जयपुर, पिन 302018, (4) मैसर्स शिवांग एंटरप्राइजेज (प्रोप्राइटरशिप कंसर्न), प्रो. श्री शिवांग गर्ग (कॉर्पोरेट गारंटर और बंधककर्ता), पता- प्लॉट नंबर 36, आनंद विहार विस्तार, गोपाल पुरा बायपास, त्रिवेणी नगर, जयपुर, पिन 302018, को नोटिस में उल्लिखित राशि रुपये 24,22,44,553/- (रुपये चौबीस करोड़ बाईस लाख चौवालीस हजार पांच सौ तिरपन मात्र) दिनांक 16.02.2025** तक तथा उक्त राशि पर **दिनांक 17.02.2025** से भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे क्रमशः, संविदात्मक दरों पर सभी आकस्मिक खर्चे, लागत शुल्क आदि सहित उक्त नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **दिनांक 04.06.2025** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के वास्ते **रूपये 24,22,44,553/- (चौबीस करोड़ बाईस लाख चौवालीस हजार पांच सौ तिरपन रुपये मात्र) दिनांक 16.02.2025** तक प्लस उक्त राशि पर **दिनांक 17.02.2025** से ब्याज और अन्य खर्चे, क्रमशः संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज के साथ-साथ सभी आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क आदि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. फैक्टरी भूमि एवं भवन, खसरा नंबर 946/943, 933/698, 945/930 पर, मांडा, रीको फेस 2, ग्राम बैका बाग, डाकघर- कालाडेरा, जिला जयपुर 303801 **पूर्वः** खसरा नंबर 693 और 699, **पश्चिमः** खसरा नंबर 942/694 और 944/930, **उत्तरः** खसरा नंबर 929/695 और 932/698, **दक्षिणः** सड़क 18.00 मीटर चौड़ी, **मालिकः जौर्जा लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड**
2. औद्योगिक प्लॉट खसरा नंबर 950/739 पर, गांव- लालासर, मांडा औद्योगिक क्षेत्र के पास, तहसील किशनगंज-रेनवाल, जिला-जयपुर **पूर्वः** खसरा नंबर 951/739, **पश्चिमः** खसरा नंबर 957/738 और सड़क, **उत्तरः** खसरा नंबर 864/739, **दक्षिणः** सड़क और खसरा नंबर 739/2 **मालिकः शिवांग इंटरप्राइजेज**
3. औद्योगिक प्लॉट खसरा नंबर 959/861, 961/862 पर, ग्राम- लालासर, मांडा औद्योगिक क्षेत्र के पास, तहसील किशनगंज- रेनवाल, जिला-जयपुर **पूर्वः** खसरा नंबर 957/738, **पश्चिमः** खसरा नंबर 955/724, **उत्तरः** खसरा नंबर 725 और 726, **दक्षिणः** सड़क, **मालिकः शिवांग इंटरप्राइजेज**
4. औद्योगिक प्लॉट खसरा नंबर 962/953 और 955/724 पर, गांव- लालासर, मांडा औद्योगिक क्षेत्र के पास, तहसील किशनगंज-रेनवाल, जिला-जयपुर **पूर्वः** खसरा नंबर 959/861, **पश्चिमः** खसरा नंबर 963/953, **उत्तरः** खसरा नंबर 722 और 725, **दक्षिणः** रोड, **मालिकः शिवांग एंटरप्राइजेज**

चल संपत्ति का विवरण

कंपनी के कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, स्टोर, स्पेयर, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और अन्य विविध अचल संपत्तियां, बुक ऋण और कंपनी की अन्य चालू संपत्तियां जो फैक्ट्री परिसर में या अन्यत्र कंपनी के नाम पर वर्तमान और भविष्य में खसरा नंबर 946/943, 933/698, 945/930, मंडा, रीको फेज 2, गांव बैका बाग, पी.ओ- कालाडेरा, जिला जयपुर 303801 पर स्थित हैं। **मालिक- जौर्जा लेमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड**

दिनांकः 04.06.2025 स्थान : जयपुर — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक